स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के द्वारा श्री वरूण चौधरी विधायक, श्री अमित सिहाग विधायक एवं श्री आफताब अहमद, विधायक जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ एवं जलभराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि इस वर्ष जुलाई, 2023 महीने में हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ एवं जल भराव के कारण प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। किसान, डेयरी किसान, व्यवसायी एवं वह हरियाणा वासी जिनके मकान/भवन क्षतिग्रस्त हो गये थे। उन्होंने सरकार से मुआवजे के लिए मांग की थी और सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के लिये क्षतिपूर्ति पोर्टल एवं कागज पर आवेदन मांगे थे। जानकारी की कमी के कारण बहुत से प्रभावितों का पंजीकरण नहीं हो पाया था परंतु उन्होंने लिखित में उपायुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बी.डी.पी.ओ. एवं अन्य अधिकारियों को लिखित में अपने नुकसान की जानकारी दी थी। जिन किसानों ने दूसरी बार अथवा तीसरी बार फसल लगाई थी उन्हें भी 7000/-रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। पांच महीने बाद भी न तो नुकसान की जाँच करने के लिए किसी अधिकारी ने मौका किया है और न हीं अब तक कोई मुआवजा प्रभावितों को मिला है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तवय दें।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24 (ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ संलग्न)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस वर्ष फरवरी-मार्च में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद तथा भिवानी जिलों में बेमौसमी भारी बारिश व ओलावृष्टि के कारण सरसों व गेंहू की खड़ी फसलों को हुए नुकसान बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि इस वर्ष फरवरी, मार्च में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद तथा भिवानी आदि जिलों में बेमौसमी भारी बारिश व ओलावृष्टि के कारण सरसों व गेंहू की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ था। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत रबी फसल 2022 का बीमा करवाया था वे सरकार से फसल को हुए नुकसान बारे मुआवजा देने की मांग काफी समय से करते आ रहे हैं ओर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं, परंतु सरकार ने अभी तक ज्यादातर किसानों को मुआवजा नहीं दिया है जिसके कारण किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तवय दें।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 (ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ संलग्न)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 के द्वारा, श्री नीरज शर्मा, विधायक बाढ के कारण हुये नुकसान का मुआवजा देने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा में जुलाई 2023 माह में बारिश के कारण आई बाढ से जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिये सरकार क्या कर रही है। इस बारे विस्तृत चर्चा सदन में की जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री का वक्तव्य

महोदय, हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है इसलिए उनके सामने आने वाले सभी जोखिमों को कम करने के लिए अग्रिम कदम उठाये जाते है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य आपदा आती हैए तो सरकार घटनाओं का सामना करने में तुरंत उनकी सहायता करती है और नीति के अनुसार सक्रिय रूप से उन्हें मुआवजा भी देती है ।

यह एक तथ्य है कि जुलाई 2023 के दौरान हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हुई । परिणामस्वरूप हरियाणा में बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त

कर दिया और दुर्भाग्यवश जान-माल व जानवरों की हानि तथा संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की व्यापक क्षति हुई। हरियाणा के इतिहास में पहली बार सरकार ने राज्य के 12 जिलों के 1469 गांवों और 4 एमसी क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है ।

सरकार ने यथासमय बाढ़ की रोकथाम और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनके घर, पशुधन , फसलों और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में क्षति/ नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, क्षति के सत्यापन और समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण(डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल E-skhatipurti.haryana.gov.in/ लॉन्च किया गया। यह पोर्टल 2 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक खुला था । राज्य के सभी उपायुक्तो को उपरोक्त पोर्टल के सम्बन्ध में आम नागरिको में उचित प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में ई0-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दर्ज किये गये दावो की सत्यापन प्रकिया पूर्ण होने उपरांत हरियाणा सरकार के मानदंडो/निर्देशो अनुसार 63,75,500/-रूपये पशु हानि के लिए, 5,14,85,000/- रूपये क्षतिग्रस्त मकानो के लिए 13,37,500/- रूपये घरेलु सामान के लिए 4,85,500/-रूपये व्यवसायिक सम्पत्ति (ग्रामीण क्षेत्र) के लिए स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त 40 शोक संतप्त परिवारों को 1,60,00,00/-(एक करोड़ साठ लाख रुपये मात्र) (प्रति मृतक 4 लाख रुपये) की रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । बचाव कार्यों के लिए राज्य के 10 जिलों को अतिरिक्त 11.02 करोड रुपये की राशि जारी की गईं है।

जंहा तक फसल के नुकसान के मुआवजे का सम्बन्ध है, सरकार ने लागू मानदंडो का पालन करते हुए, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन, प्रभावित क्षेत्रो के लिए फिर से बोए गए क्षेत्रो के लिए 7,000/- रूपये प्रति एकड का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य में बाढ प्रभावित 5,77,296.61 एकड क्षेत्र के लिए कुल 1,34,310 किसानों (कपास की फसल को छोडकर) ने पोर्टल पर अपने दावे दर्ज किये है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद, मुआवजे के लिए 97,93,25,839/- रूपये की राशि का आंकलन किया गया है, जिसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांरतरण के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24 का कृषि एंव किसान कल्याण विभाग से प्राप्त उत्तर

हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार खरीफ 2016 से लागू की जा रही है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग व रबी सीजन में गेंहू, सरसों, चना, जौं तथा सूरजमुखी को इस योजना के तहत बीमित किया जा रहा है । इस योजना के अधीन किसानों का प्रीमियम का हिस्सा खरीफ में बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय, जिन बीमित किसानों की रबी 2022-23 में फसल ओलावृष्टि व जलभराव से खराब हुई है, उन सभी किसानों को उनकी फसलों में हुये नुकसान का क्लेम योजना के दिशा निर्देशों अनुसार जारी किया जा रहा है। राज्य मे योजना के तहत सरसों व गेंहू की फसल के लिए जिला हिसार, सिरसा, भिवानी व फतेहाबाद मे कुल 3,70,277 आवेदन प्राप्त हुये है जिसमें 35,365 किसानों को 65.18 करोड रूपये का क्लेम जारी किया

जा चुका है और शेष क्लेम वितरण के लिए प्रकियाधीन है। जिलावार अनुमानित क्लेम व किसानों को वितरित क्लेम की स्थिति निम्न प्रकार से हैः-

जिला	**फसल**	**अनुमानित क्लेम राशि (करोड़ मे)**	**किसानों को वितरित क्लेम राशि (करोड़ मे)**
हिसार	सरसों	6.38	6.30
	गेंहू	3.59	3.59
सिरसा	सरसों	5.50	प्रकियाधीन
	गेंहू	91.23	3.19
फतेहाबाद	सरसों	4.87	4.39
	गेंहू	2.04	2.04
भिवानी	सरसों	51.30	34.20
	गेंहू	23.04	11.47
कुल		**187.95**	**65.18**

STATEMENT OF SHRI DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER

Sir, the Government of Haryana is conscious of its responsibility to safeguard the interests of farmers and therefore takes advance steps to mitigate all risks faced by them. Whenever a natural calamity or any other disaster does strike, Government promptly assists them in responding to the events and proactively compensates them in accordance with policy.

It is a fact that heavy to extremely heavy rainfall was received in adjoining States and in most of the parts of Haryana during July 2023. The resultant floods threw the normal life out of gear in Haryana and caused unfortunate loss of lives, animals and extensive damage to properties and infrastructure. For the first time in the history of Haryana, the Government declared 1469 villages and 4 MC areas in 12 districts as flood affected in the State.

The Government promptly took all necessary steps and precautions to prevent and to reduce the impact of the flood. To ease the process of submission of claims for affected persons and families, for damage/loss in respect of their house, livestock, crops and commercial moveable property and to ensure transparency in damage verification and disbursement of compensation to the affected people through Direct Benefit Transfer (DBT) in a time bound manner, State Government launched a dedicated portal i.e. https://eskhatipurti.haryana.gov.in/. The portal was opened from 2nd August 2023 to 25th August 2023 for public to upload their claims. All the Deputy Commissioners were requested to publicise the same. After getting verification process as per the norms/ instructions of the Haryana Govt., an amount of Rs. 63,75,500/-, Rs. 51,48,833/-, Rs. 13,37,500/-, Rs. 4,85,500/- was sanctioned for providing

compensation to the beneficiaries on account of Animal loss, House damage, Utensils & clothing and Commercial(rural) property respectively. In addition to above an amount of Rs.1,60,00,000(Rs. one crores sixty lacs only) (Rs.4.00 lakh per deceased) has been sanctioned to 40 bereaved families. An additional amount of Rs.11.02 crore has also been sanctioned to 10 districts of the State for rescue operations.

As far as compensation towards crop loss is concerned, the Government has decided to provide compensation of Rs.7,000/- per acre for the re-sown areas affected by the flood, subject to the verification by the authorities concerned, following the norms applicable. A total number of 1,34,310 farmers(except cotton crop) have registered their claims in the portal for an area of 5,77,296.61 acres as flood affected in the State. After verification by the authorities concerned, an amount of Rs.97,93,25,839/- has been assessed for the compensation, which is being released through Direct Benefit Transfer.

Reply of Calling Attention 24 received from Agriculture department

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is being implemented in the State of Haryana from Kharif 2016 as per the guidelines of Government of India. Paddy, Bajra , Maize, Cotton & Moong in Kharif Season and Wheat, Mustard, Gram , Barley & Sunflower are being insured in Rabi Season. Under the scheme, the farmer' s share of premium is 2% of sum insured in Kharif and 1.5% of sum insured in Rabi and 5% for horticultural & commercial crops.

Speaker Sir, the claim for the loss in their crops in being issued to all the insured farmers whose crops have been damaged due to hailstorm and inundation in Rabi 2022-23 as per the guidelines of the scheme. Under the scheme, a total of 3,70,277 applications have been received for Mustard and Wheat crop in Hisar, Sirsa, Bhiwani and Fatehabad districts. In which claims worth Rs. 65.18 Crore have been issued to 35,365 farmers and the remaining claims are under process for disbursement. The status of district wise estimated claims and claims disbursed to farmers is as follows:

District	Crop	Estimated Claim (Amount in Crore)	Claim disbursed to Farmers (Amount in Crore)
Hisar	Mustard	6.38	6.30
	Wheat	3.59	3.59
Sirsa	Mustard	5.50	Under Process
	Wheat	91.23	3.19
Fatehabad	Mustard	4.87	4.39
	Wheat	2.04	2.04
Bhiwani	Mustard	51.30	34.20
	Wheat	23.04	11.47
Total		187.95	65.18